

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015

विषय:- अलीगढ़ में पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग एस०एच०-22ए किमी० 62.5 की बांयी पटरी पर ग्राम अर्राणा के खसरा संख्या-203 पर विकसित किये जा रहे एरसार ऑयल लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.072 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 09 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/48/2015/एफसी/1032, दिनांक 03-12-2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 09 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों के साथ प्रस्ताव को मूलरूप में वापस किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में विषयगत प्रस्ताव को मूलरूप में वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा लगायी गयी 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र मूलरूप में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।